

विद्रोह का प्रार्थना पत्र पेश करने पर रिपोर्ट से तलब होकर पेश हुई। वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ स्वहस्ताक्षरित आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की गई। प्रार्थना पत्र सलग्न पत्रावली बिया जाकर दिनांक 30.10.23 को पेश हो।

गोपाल

मि रानीबाई

गण्डि मात

27.10.23


पत्रावली वादीगण संख्या 1 से 3 उपस्थित होकर वादी संख्या 3 द्वारा पत्रावली तलबी एवं वादविद्रोह का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने पर सिंगल से तलब होकर पेश हुई। वादीगण द्वारा कथन किया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो चुका है एवं अब प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं अतः वाद विद्रोह उले की स्वीकृति प्रदान करावें।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, प्रार्थना पत्र

का विस्तृत अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा स्वहस्ताक्षरित आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की गई। आधार फोटो प्रति का मूल आधार कार्ड एवं पूर्व में वाद में प्रस्तुत आधार फोटो प्रति का

मिलान किया गया। वादीगण द्वारा स्वयं उपस्थित होकर विद्रोह किए जाने से वाद विद्रोह का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत समस्त प्रार्थना पत्र वादी द्वारा वाद विद्रोह किया जाने से बिना प्रतिबुद्ध अभाव के निस्तारित किया जाता है।

अतः वादी का वाद विद्रोह होने से इसी स्तर पर निस्तारित किया जाता है। निर्णय श्री अजलाल सुनाया गया। ऊपर फैलल शुद्धा होकर मबर से कम है।


प्रतिमावती
उपखण्ड अधिकारी
गिरवा, उदयपुर